(ESTD.1956)

OFFICE OF THE PRINCIPAL
C.M.DUBEY POST GRADUATE COLLEGE
BILASPUR (C.G.)
(Accredited "A" by NAAC &The College with "Potential for Excellence")
An Affiliated College of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Phone : +91 7752-225177
Mob. No.: +91 6262333158
Website: www.cmdpgcollege.ac.in
E-mail : principal@cmdpgcollege.ac.in

CM Dubey PG College, Bilaspur

Superstition: A hindrance for disaster management

An awareness camp

Awareness camp in village Nevasa

Organized by CG State Vidhik Seva Pardhikaran and NSS Unit

Dates :- 3rd-9th Dec 2019

Number of students: 15

The various services of the institution are involved in spreading awareness in rural areas and bridging the gap in society. In this context, the NSS unit of the college in coordination with CG Vidhik Seva Pradhikaran, Bilaspur organised an awareness camp in the backward rural area of village Nevasa. The theme was "Disaster Awareness" amongst the Baiga Adivasis.

The villagers of a far off region live a secluded life, untouched by development of the modern world. They lead a simple life yet full of problems. They try to over come the disasters which are a part of everyday life through trial and error methods and superstitious beliefs. In this way, at times, they succumb to the windfall. The students of the institution make efforts to bring these backward sections into the mainstream by educating them about management, control and rehabilitation due to disasters of any kind. The students adopted many ways to like Nukkad Natak,

Poster Presentation, Rally in the village and surrounding areas, Pamphlet distribution etc to educate the villagers.

The students were sent off from the college in the presence of members of the Pradhikaran, Judge Siddharth Agarwal, Judicial officer Mr Shashank Dubey, Chairman of Governing Body Pt. Sanjay Dubey, Principal Dr Sanjay Singh, Dr P.L Chandrakar and the faculty members of the institution. The Chief Guest addressed the students and said that Vidhik Seva Pradhikaran is dedicated to give free justice and to promote government schemes for rehabilitation of needy people.The 7 days camp was a great success and the villagers gained knowledge about how to face manmade or natural disasters.

Coordinator

(Dr. P.L. Chandrakar)
Programme Officer NSS (GA)
C.M.D. College, Bilaspur (C.G.)

Principal

In-Charge Principal

C.M.Dubey Post Graduate

College,Bilaspur (C.G.)

दैनिक भास्कर
04-Dec-2019
Page 3

आपदा से बचाव के लिए नए आविष्कार किए जा रहे हैं: न्यायाधीश सिद्धार्थ

बिलासपुर| सीएमडी कॉलेज के गोद ग्राम नेवसा में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 9 दिसंबर तक चलेगा। शिविर के लिए मंगलवार को 90 छात्र-छात्राओं के दल को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सदस्य सचिव न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल, शासी निकाय के अध्यक्ष पं. संजय दुबे, प्रभारी प्राचार्य डॉ. संजय सिंह, न्यायिक अधिकारी प्रशांत दुबे ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सात दिवसीय शिविर में छात्रों द्वारा गांव में फैले अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करने का विषय रखा गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सदस्य सचिव न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण लोग प्रकृति एवं मानव निर्मित आपदा से आज बचाव ट्रायल एरर पद्धति एवं अंधविश्वास के माध्यम से करते हैं और वह बड़ा नुकसान कर लेते हैं। विज्ञान ने आपदा नियंत्रण और पूर्वानुमान के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का आविष्कार किया है। जो आपदा से बचाव के उत्तम माध्यम हैं। इस अवसर पर रासेयो प्रभारी डॉ. पीएल चंद्राकर, डॉ. केके शुक्ला, परमानंद पटेल, रोहित लहरे, उपस्थित रहे।

प्रभारी प्राचार्य
सी.एम.दुबे पी.जी. महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

हरिभूमि

बिलासपुर - बिलासपुर भूमि

Date - 4 Dec'19

आपदा की रोकथाम अंधविश्वास से संभव नहीं

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिलासपुर

छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सीएमडी कालेज के एनएसएस इकाई ने संयुक्त रूप से 3 से 9 दिसंबर तक आपदा और प्रतिरोधक शक्ति संपन्न ग्रामीण समाज विषय पर चैगा आदिवासी हुल ग्राम नेवसा में जागरुकता शिविर लगाया जा रहा है।

शिविर में शिविरार्थी सात दिवस तक 11 गांव जिसमें नेवसा, पटैता, गोवरी पाट, करखा, लिटिभा, नकटाबोधा, सरईपाली, शिवतराई आदि में चलचित्र नुक्कड़ नाटक, रैली, भाषण, पाम्पलेट आदि से ग्रामीण जनजातीय समाज को आपदा नियंत्रण, बचाव, राहत एवं पुनर्वास की जानकारी देंगे। दल को आज छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरन के सदस्य सचिव न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल, अध्यक्ष शासी निकाय पं. संजय दुबे, प्रभारी प्राचार्य सीएम दुबे कालेज के डॉ. संजय सिंह, न्यायिक अधिकारी शशांक दुबे ने हरि झण्डी दिखाकर सीएम डी कालेज से रवाना किया।

जागरूकता दल को रवाना करते न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल व अन्य।

न्यायाधीश श्री अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा से आज बचाव ट्रायल एण्ड एरेर पद्धति एवं अंधविश्वास से करते हैं और बड़ा नुकसान कर लेते हैं, अकाल मृत्यु की शिकार बन जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा पीड़ितों की पहचान कर निःशुल्क न्याय के साथ-साथ शासकीय पुर्नवास एवं राहत योजनाओं का लाभ दिलाने प्रयासरत है। पं. संजय दुबे ने कहा कि हमारे एनएसएस इकाई ने कई वर्षों से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन पर स्वच्छता, शिक्षा, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, हरियाली, महिला सशक्तिकरण के प्रति ग्रामीण समाज को जागरूक कर रही है। हम नेवसा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त की है। शिविर के सहयोगी परमानंद पटेल, रोहित लहरे, किशोर राजपूत, सोनाली मिंज, गगन यादव, जय गिरी कृषकों को जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहित कर घुरवा निर्माण करेंगे।

श्रम-योगी मानधन योजना का पेंशन सप्ताह 6 तक

बिलासपुर। श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए, भारत शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत जिले के समस्त जनपद पंचायतों में पेंशन सप्ताह 30 नवंबर से प्रारंभ है इसका समापन 6 दिसंबर को होगा। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि इस योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के समस्त श्रमिक शामिल हो सकते हैं। रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, सफाई कामगार, खेतीहर मजदूर, नरेगा मजदूर, रेजा-कुली, राजमिस्त्री, नल मिस्त्री, बढ़ई, फेरीवाला, मोची, नाई, सब्जी-फल विक्रेता, छोटे-मोटे दुकान चलाने वाले आदि सभी प्रकार के श्रमिकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत 55 रुपए से 200 रुपए तक पृथक-पृथक आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा एवं श्रमिक के अंशदान के बराबर की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय के द्वारा देय होगी।